सीधे प्रवेश हेतु निर्देश
(1)

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)–2020 की काउन्सिलिंग प्रक्रिया (छठे से नौवें चरण) में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के लिए विस्तृत निर्देश एवं समय–सारिणी

(अभ्यर्थियों तथा अनुदानित एवं निजी पालीटेक्निक संस्थाओं हेतु)

जो अभ्यर्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2020 में सम्मिलित नहीं हुए हैं, वे सभी छठे चरण की काउन्सिलिंग से पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थी केवल सहायता प्राप्त एवं निजी पालीटेक्निकों में पाचवें चरण की काउन्सिलिंग के पश्चात रिक्त रह गई सीटों पर प्रवेश के लिए पात्र होंगे। राजकीय पालीटेक्निकों में केवल संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2020 में सम्मिलित अभ्यर्थी ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे। नीचे दिये गये निर्देश संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2020 में सम्मिलित नहीं हुए अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु दिये जा रहे हैं। अभ्यर्थियों को संस्था व पाठ्यक्रम का आवंटन उनकी अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनाकर उनके द्वारा दिये गये विकल्प व आरक्षण (केवल EWS) के आधार पर, आनलाइन काउन्सिलिंग वेबसाइट http://jeecup.nic.in के माध्यम से किया जा रहा है।

छात्र अपनी लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड तथा मोबाइल न0 (जो काउन्सिलिंग रजिस्ट्रेशन में दें) सुरक्षित रखें। सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं ओ0टी0पी0 छात्र द्वारा अंकित मोबाइल न0 पर प्रेषित होगी। छात्रो को यह सलाह दी जाती है कि काउन्सिलिंग हेतु दिये गये निर्देशों की प्रिन्ट कॉपी लेकर पूरी तरह से निर्देशो का स्वयं अध्ययन कर लें। रजिस्ट्रेशन फार्म, रजिस्ट्रेशन शुल्क रू0 250/– की रसीद, आनलाइन जमा किये गये प्रवेश शुल्क की रसीद व सीट एलाटमेन्ट लेटर, की एक–एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।

काउन्सिलिंग के लिए अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश

(छठे चरण से नौवें चरण तक की काउन्सिलिंग के लिए)

1. सभी प्रक्रियाएं दिये गये काउन्सिलिंग शिड्यूल के समयान्तर्गत रहेंगी। शिड्यूल पोर्टल पर उपलब्ध है। छठे चरण में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु दिनांक 24.10.2020 से 04.11.2020 (सायं 5:00 बजे तक) रजिस्ट्रेशन आनलाइन काउन्सिलिंग वेबसाइट http://jeecup.nic.in के माध्यम से करेंगे। छठे चरण की च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग दिनांक 05.11.2020 से 06.11.2020 तक की जायेगी। समस्त चरणों का शिड्यूल आगे के पृष्ठों पर दिया गया है।
2. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि काउन्सिलिंग के समय उनके पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र व अन्य प्रमाण–पत्र मूल रूप में उपलब्ध हो तथा EWS आरक्षण प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध हो। डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन में मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी।
3. काउन्सिलिंग में रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा संस्था शुल्क अभ्यर्थियों के लॉगिन से आनलाइन ही जमा होगा।
4. **रजिस्ट्रेशन** – काउन्सिलिंग में भाग लेने के लिए अर्ह अभ्यर्थी को वेबसाइट http://jeecup.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा तथा एक पासवर्ड बनाना होगा। अभ्यर्थी को नये बनाये पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर पंजीकरण (Registration) पूर्ण करना होगा। अभ्यर्थी को इस बात का वचन देना होगा कि उसके द्वारा दिये गये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, आरक्षण (नवीनतम) व अन्य सम्बन्धित प्रमाण–पत्र के मूल अभिलेख उसके पास उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी के प्रवेश सम्बन्धी समस्त कार्य आवंटित संस्था में कराने होंगे।

   रजिस्ट्रेशन के पश्चात काउन्सिलिंग फीस जमा करनी होगी। काउन्सिलिंग फीस हेतु रू0 250/– दिये गये विकल्पों यथा– नेट बैकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करना होगा। शुल्क किसी भी यू0पी0आई0 एप से न जमा करें। काउन्सिलिंग फीस किसी भी दशा में वापस अथवा हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
5. **च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग** – जिन अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन कार्य सम्पन्न हो गया है, वह अभ्यर्थी अपनी च्वाइस फिलिंग का कार्य लॉगिन (आई0डी0 व पासवर्ड) की सहायता से करेंगे। प्रत्येक चरण की निर्धारित अवधि में ही च्वाइस फिलिंग व लॉकिंग की जायेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके ग्रुप तथा आरक्षण वर्ग (केवल ई0डब्लू0एस0) के अनुसार संस्था व पाठ्यक्रम के विकल्प दिखेंगे, जिसमें वह अपनी वरीयता के आधार पर एक विकल्प का चयन कर सकता है। विकल्प भरने का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा विकल्प को अपने पासवर्ड द्वारा लॉक किया जायेगा। लॉक करने के उपरान्त विकल्प को बदला नहीं जा सकता है। छठवें चरण से अन्तिम चरण तक केवल 01 विकल्प का चयन किया जा सकेगा।

6. **सीट आवंटन** – प्रत्येक चरण में निर्धारित तिथि को सीट आवंटन होगा। अभ्यर्थियों का आवंटन मेरिट, संस्था व पाठ्यक्रम के विकल्प, आरक्षण तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को अपनी आंवटित संस्था पर जाकर अपने सभी मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। अभिलेखों के सत्यापन के तुरन्त बाद अभ्यर्थी अपने लॉगिन द्वारा चयनित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित सम्पूर्ण शुल्क आनलाइन जमा करना होगा। शुल्क दिये गये विकल्पों केवल नेट बैकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्रत्येक चरण हेतु निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना होगा। अन्यथा की स्थिति में उसको आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी और वह अगले सभी चरणों की काउन्सिलिंग से बाहर हो जायेगा। शुल्क किसी भी यू0पी0आई0 एप से न जमा करें। अभ्यर्थी को आवंटित संस्था पर उपस्थित होकर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराकर निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

7. **डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन** – निर्धारित अवधि में अभ्यर्थी को स्वयं सभी मूल अभिलेखों तथा इसकी स्वःप्रमाणित छायाप्रति तथा छः फोटोग्राफ के साथ आवंटित संस्था में उपस्थित होना होगा। **छठवें चरण से अन्तिम चरण तक अभिलेखों का सत्यापन आवंटित संस्था में जाकर निर्धारित अवधि में अभ्यर्थियों द्वारा कराया जायेगा।**

डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के समय यदि अभ्यर्थी के प्रमाण–पत्रों में कमी पायी जाती है तो निम्न प्रकार के नियमों के अनुसार संस्था प्रधानाचार्य द्वारा निर्णय लिये जायेंगे तथा काउन्सलर द्वारा डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के समय परिवर्तन किया जायेगा। काउन्सलर द्वारा अभ्यर्थी का जेण्डर, जन्मतिथि तथा ई0डब्लू0एस0 आरक्षण में परिवर्तन (ई0डब्लू0एस0 से सामान्य) किया जा सकेगा।

1. <u>यदि कमी इस प्रकार की है, जिसका निराकरण सम्भव नहीं है :</u>

(अ) आयु (01.07.2020 को न्यूनतम 14 वर्ष), तो अभ्यर्थी को आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी तथा अभ्यर्थी सम्पूर्ण काउन्सिलिंग प्रक्रिया से इस वर्ष के लिए बाहर हो जायेगा।

(ब) यदि अभ्यर्थी आवंटित ग्रुप की निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं रखता है तो वह सम्पूर्ण काउन्सिलिंग प्रक्रिया से इस वर्ष के लिए बाहर हो जायेगा।

2. **यदि कमी इस तरह की है, जिससे अभ्यर्थी के आवंटित सीट पर प्रभाव पड़ता है** यदि अभ्यर्थी को सीट EWS के आरक्षित वर्ग से मिली है, परन्तु अभ्यर्थी के पास EWS आरक्षण का प्रमाण–पत्र नहीं है तो उसके आरक्षण वर्ग को निम्नानुसार अभ्यर्थी की लिखित सहमति से परिवर्तित कर दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी अगले चरण की काउन्सिलिंग के लिए पात्र होंगे, परन्तु अभ्यर्थी का आवंटन उस चरण में निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे अगले चरण में बदले हुए आरक्षण वर्ग के अनुसार काउन्सिलिंग हेतु अर्ह माना जायेगा।

GEN EWS ⟶ GENERAL

किसी भी अभ्यर्थी का सामान्य वर्ग से आरक्षण वर्ग में परिवर्तन सम्भव नहीं है।

3. **प्रोवीजनल एडमिशन लेटर** – शुल्क जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी अपने लॉगिन पर उपलब्ध प्रोवीजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर लेंगे तथा अपनी आवंटित संस्था में जमा करेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है तो संस्था में उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी के द्वारा परीक्षा शुल्क, बीमा शुल्क, छात्रावास शुल्क तथा अन्य शुल्क (में जो अन्तर हो) संस्था में जमा करना होगा।

4. **शुल्क** – छठे चरण से काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित अभ्यर्थी डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के पश्चात अपने लॉगिन से संस्था शुल्क प्रत्येक चरण में निर्धारित अवधि में ही आनलाइन जमा करेंगे। राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी पूर्ण शुल्क जमा करेंगे, परन्तु निजी पालीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी रू0 3000/– आनलाइन जमा करेंगे तथा शेष शुल्क संस्था में प्रवेश की औपचारिकता पूर्ण करते समय जमा की जायेगी।

<u>निजी पालीटेक्निक संस्थाओं हेतु विशेष निर्देश</u> – डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन का कार्य छठे चरण से नौवें चरण तक आवंटित संस्था में ही किया जा रहा है। अतः निजी पालीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों का डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन निजी पालीटेक्निक संस्था द्वारा इस शर्त पर किया जायेगा कि वे अभ्यर्थी से प्रवेश के समय अवशेष शुल्क स्वयं जमा करा लेंगे। अभ्यर्थी केवल रू0 3000/– अपने लॉगिन से जमा करेगा जोकि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के गेटवे के माध्यम से संस्था के खाते में हस्तान्तरित हो जायेगा। अभ्यर्थी से अवशेष शुल्क प्राप्त करने के सम्बन्ध में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, किसी भी स्तर पर जिम्मेदार नहीं होगा। अतः डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन करने के पूर्व शुल्क के सम्बन्ध में निजी पालीटेक्निक संस्थाएं पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जायें। अभ्यर्थी का डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन संस्था की सहमति समझी जायेगी।

अभ्यर्थियों हेतु विशेष निर्देश :

अभ्यर्थी के द्वारा यदि सीट आवंटन के पश्चात सम्पूर्ण प्रक्रिया निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं की जाती है तो वह अगले समस्त चरणों की काउन्सिलिंग से बाहर कर दिया जायेगा। इसी प्रकार अगले सभी चरणों में आवंटन के पश्चात सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा वह अगले किसी भी चरण की काउन्सिलिंग में भाग नहीं ले सकेगा। **अतः अभ्यर्थियों को यह विशेष निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपने विकल्प सावधानीपूर्वक भरें और निर्धारित अवधि में अभिलेख सत्यापित कराते हुए शुल्क अवश्य जमा कर दें।**

छठे चरण से आठवें/अन्तिम चरण तक की काउन्सिलिंग प्रक्रिया

इस चरण में संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)–2020 में सम्मिलित ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्हें पंचम चरण तक सीट आवंटित नहीं हुई है। ऐसे अभ्यर्थी राजकीय, अनुदानित अथवा निजी क्षेत्र की पालीटेक्निकों की रिक्त सीटों के विरूद्ध प्रवेश के लिए पात्र होंगे। छठे चरण से उन अभ्यर्थियों को भी प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा, जोकि संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2020 में सम्मिलित नहीं हुए हैं। ऐसे अभ्यर्थी केवल अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पात्र होंगे और इन अभ्यर्थियों का काउन्सिलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन दिनांक 24.10.2020 से प्रारम्भ होगा। छठे से नौवें चरण तक अभ्यर्थियों हेतु केवल 01 विकल्प उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी को आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य है, अन्यथा वह अन्तिम चरण तक की काउन्सिलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा। अतः अभ्यर्थी अपना वही विकल्प भरे, जिसमें वह प्रवेश लेने हेतु इच्छुक हों।

छठे चरण से अन्तिम चरण तक अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के पश्चात आवंटित संस्था में जाकर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराना होगा।

छठा चरण : प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 05.11.2020 से एवं प्रवेश परीक्षा में नहीं सम्मिलित अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 24.10.2020 से प्रारम्भ –

क्र0	छठे चरण हेतु काउन्सिलिंग प्रक्रियाएं	निर्धारित अवधि
1.	नये अभ्यर्थी आनलाइन रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा करना	दिनांक 24.10.2020 से 04.11.2020 तक
	पूर्व में पंजीकृत परन्तु अप्रवेशित/आवंटन प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों का निःशुल्क पुनः रजिस्ट्रेशन	दिनांक 05.11.2020 से 06.11.2020 तक
2.	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग (केवल 01 विकल्प उपलब्ध)	दिनांक 05.11.2020 से 06.11.2020 तक
3.	सीट आवंटन	दिनांक 07.11.2020
4.	सभी आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित संस्थान पर जाकर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराना	दिनांक 07.11.2020 से 11.11.2020 (सायं 5:00 बजे तक)
5.	सभी आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के पश्चात निर्धारित शुल्क आनलाइन जमा करना	दिनांक 07.11.2020 से 12.11.2020 तक (अपरान्ह 2:00 बजे तक)

सातवां चरण : दिनांक 06.11.2020 से प्रारम्भ –

क्र0	सातवें चरण हेतु काउन्सिलिंग प्रक्रियाएं	निर्धारित अवधि
1.	नये अभ्यर्थी आनलाइन रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा करना	दिनांक 06.11.2020 से 12.11.2020 तक
	पूर्व में पंजीकृत परन्तु अप्रवेशित/आवंटन प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों का निःशुल्क पुनः रजिस्ट्रेशन	दिनांक 13.11.2020 से 15.11.2020 तक
2.	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग (केवल 01 विकल्प उपलब्ध)	दिनांक 13.11.2020 से 15.11.2020 तक
3.	सीट आवंटन	दिनांक 16.11.2020
4.	सभी आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित संस्थान पर जाकर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराना	दिनांक 16.11.2020 से 18.11.2020 (सायं 5:00 बजे तक)
5.	सभी आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के पश्चात निर्धारित शुल्क आनलाइन जमा करना	दिनांक 16.11.2020 से 19.11.2020 तक (अपरान्ह 2:00 बजे तक)

आठवां चरण : दिनांक 14.11.2020 से प्रारम्भ –

क्रं0	आठवें चरण हेतु काउन्सिलिंग प्रक्रियाएं	निर्धारित अवधि
1.	नये अभ्यर्थी आनलाइन रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा करना	दिनांक 14.11.2020 से 19.11.2020 तक
	पूर्व में पंजीकृत परन्तु अप्रवेशित/आवंटन प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों का निःशुल्क पुनः रजिस्ट्रेशन	दिनांक 20.11.2020 से 21.11.2020 तक
2.	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग (केवल 01 विकल्प उपलब्ध)	दिनांक 20.11.2020 से 21.11.2020 तक
3.	सीट आवंटन	दिनांक 22.11.2020
4.	सभी आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित संस्थान पर जाकर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराना	दिनांक 22.11.2020 से 24.11.2020 (सायं 5:00 बजे तक)
5.	सभी आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के पश्चात निर्धारित शुल्क आनलाइन जमा करना	दिनांक 22.11.2020 से 25.11.2020 तक (अपरान्ह 2:00 बजे तक)

नवां चरण : दिनांक 21.11.2020 से प्रारम्भ –

क्रं0	नौवें चरण हेतु काउन्सिलिंग प्रक्रियाएं	निर्धारित अवधि
1.	नये अभ्यर्थी आनलाइन रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा करना	दिनांक 21.11.2020 से 24.11.2020 तक
	पूर्व में पंजीकृत परन्तु अप्रवेशित/आवंटन प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों का निःशुल्क पुनः रजिस्ट्रेशन	दिनांक 26.11.2020 से 27.11.2020 तक
2.	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग (केवल 01 विकल्प उपलब्ध)	दिनांक 26.11.2020 से 27.11.2020 तक
3.	सीट आवंटन	दिनांक 28.11.2020
4.	सभी आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित संस्थान पर जाकर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराना	दिनांक 28.11.2020 से 30.11.2020 (सायं 5:00 बजे तक)
5.	सभी आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के पश्चात निर्धारित शुल्क आनलाइन जमा करना	दिनांक 28.11.2020 से 30.11.2020 तक

विशेष निर्देश :

1. प्रत्येक चरण के पश्चात संस्थाओं में ब्रांचवार रिक्त सीटों का विवरण वेबसाइट jeecup.nic.in पर अपलोड किया जायेगा।
2. EWS वर्ग के अन्तर्गत निर्धारित सीट पर केवल EWS के अभ्यर्थी ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे। प्रवेश के पश्चात EWS सीटों के सापेक्ष प्रवेशित अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्र (साक्ष्य) संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा प्रत्येक संस्था से प्राप्त किया जायेगा।
3. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन दिनांक 24.10.2020 से 04.11.2020 तक छठे चरण हेतु खुलेगा तथा विकल्प दिनांक 05.11.2020 एवं 06.11.2020 (दो दिन) भरा जायेगा। अतः आपसे अपेक्षा है कि आपके सम्पर्क में आने वाले अभ्यर्थियों को छठे चरण से ही आवेदन पत्र तथा विकल्प भरने हेतु निर्देशित कर दें। तत्पश्चात् सीट आवंटन के पश्चात छठे चरण में ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर लें। यद्यपि नौवें चरण तक उपरोक्त समय–सारिणी के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया चलेगी।
4. संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2020 में सम्मिलित अभ्यर्थी अपने प्रवेश परीक्षा के अनुक्रमांक का प्रयोग कर प्रवेश की प्रक्रिया अनुदानित एवं निजी पालीटेक्निकों में भी पूर्ण करें, जिससे कि भविष्य में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति में कोई कठिनाई न हो। अभ्यर्थियों के लिए यह एक परामर्श मात्र है। छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा जारी शासनादेशों का स्वयं अध्ययन कर लें, इस सम्बन्ध में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

23/10/2020

(एस0के0 वैश्य)
सचिव

सचिव
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद
उ0 प्र0 लखनऊ